

9237 py

5000Rs.



A. A. esky

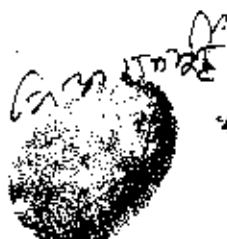
190440



विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु0 6,57,114/-
बाजारु मूल्य	: रु0 3,85,000/-
स्टाम्प शुल्क	: रु0 65,800/-
परगना	: लखनऊ

यह विक्रय विलेख राममूर्ति पुत्र मूलचन्द्र निवासी-
ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे



कि. सहाक

2405

कम संख्या

स्टाम्प विक्रय की तिथि 6/11/09

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन वैवाहिक

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता लालन SIO नैकु

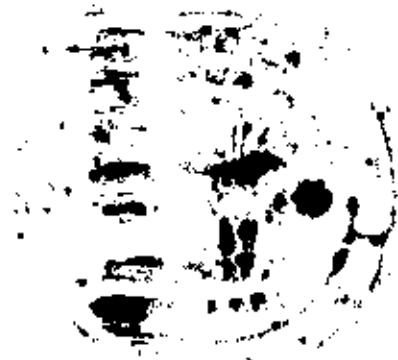
स्टाम्प की धनराशि 50000 फतेहपुर

रामेन्द्र मणि सिंह रा. मे. 5 फतेहपुर

लाइसेन्स नं. 215

लाइसेन्स की अवधि 31-3-2009

सदर तहसील, लखनऊ



5000Rs.



190441

- 2 -

विक्रेता कहा गया है, एवम् सतान पुत्र मैकू वर्तमान निवासी-254, चन्द्रलोक, अलीगंज, लखनऊ एवं स्थाई निवासी-ग्राम -मिर्जापुर भिटारी, पोस्ट-नौगाँव, जिला- फतेहपुर जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा नं० 974, 790/5, के सम्पूर्ण भाग के व खसरा नं० 825, 826, रकबा 0.190 हेक्टेअर के आधे



2406

क्रम संख्या

स्टाम्प विक्रय की तिथि 6/11/24

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन वेनाम

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता लखनऊ 510 मेक फतेहपुर

स्टाम्प की धनराशि

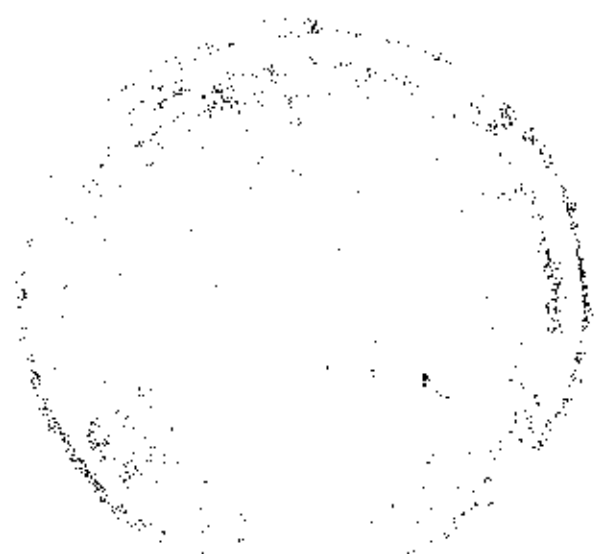
रामेन्द्र मणि सिंह

लाइसेन्स नं. 215 13 इमालीक

लाइसेन्स की अवधि 31-3-2009

सदर मजदारी लखनऊ

12/11/24

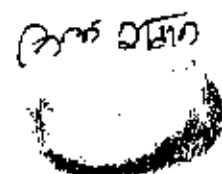




190442

- 3 -

भाग के अर्थात् 0.095 हेक्टेअर, कुल रकबा 0.350 हेक्टेअर, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 509 के अनुसार उक्त भूमि पहले मूलचन्द्र पुत्र हीरा निवासी- ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ के नाम थी परन्तु बाद में मूलचन्द्र की मृत्यु के





191025

- 4 -

पश्चात उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम बतौर वारिस दर्ज है। विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त



लिख शहाम

5000Rs.



190847

- 5 -

वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

5000Rs.



190848

- 6 -

दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 6,57,114/- (छः लाख सत्तावन हजार एक सौ चौदह रुपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को



33/100 5000Rs.



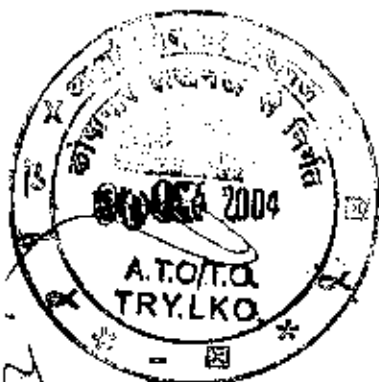
187445



- 7 -

विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।





187444

- 8 -

विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई

दिनांक 05/06/2004

दिनांक 05/06/2004

5000Rs.



187443

- 9 -

मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण, क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल,



5000Rs.



189363

- 10 -

अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

मि. क. शर्मा

मि. क. शर्मा

INDIA NON JUDICIAL

4000रु.

R\$ 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES



189364

- 11 -

उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.350 हेक्टेअर की मालियत रु0 3,85,000/- होती है।

152

म. र. शाह

5000Rs.



189365

- 12 -

तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 65,800/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व

किमा २०००

किमा २०००

1000Rs.



- 13 -

जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

उक्त भूमि शहीद मथ से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।



निज शता

1000Rs.



- 14 -

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण
भूमि खसरा नं० 974, 790/5, के सम्पूर्ण भाग के व खसरा नं० 825, 826, रकबा 0.190 हेक्टेअर के आधे भाग के अर्थात् 0.095 हेक्टेअर, कुल रकबा 0.350 हेक्टेअर, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

विश्व शर्मा

विश्व शर्मा

1000Rs.



- 15 -

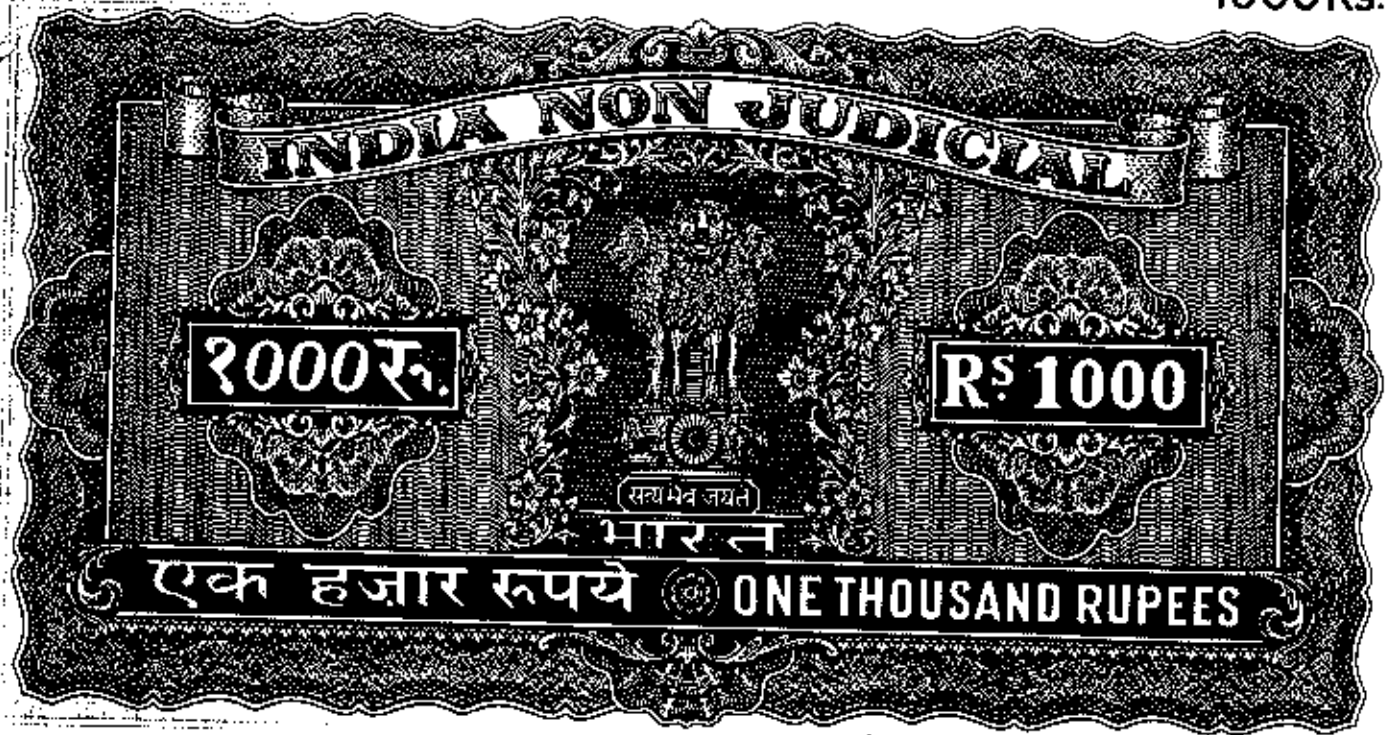
खसरा न० 974 रकबा 0.078 हेक्टेअर

पूरुब	: चकमार्ग
पश्चिम	: खसरा संख्या-975
उत्तर	: खसरा संख्या-976
दक्षिण	: चकमार्ग

मि. अ. अ. अ. अ. अ.

मि. अ. अ. अ. अ. अ.

1000Rs.



-16-

खसरा न० 790/5 रकबा 0.177 हेक्टेअर

पूरब : खसरा संख्या-793, 244, 789
पश्चिम : खसरा संख्या-1079, 841
उत्तर : खसरा संख्या-798
दक्षिण : खसरा संख्या- 223, 243, 222



खसरा न० 825 रकबा 0.089 हेक्टेअर

पूरब : खसरा संख्या-820
पश्चिम : खसरा संख्या-915
उत्तर : खसरा संख्या-824
दक्षिण : खसरा संख्या-826

मि. स. २०१०

मि. स. २०१०



- 17 -

खसरा न० 826 रकबा 0.101 हेक्टेअर

पूरुब : खसरा संख्या-820, 827, 832
पश्चिम : खसरा संख्या-915, 872

निवासी

निवासी

500Rs.



- 18 -

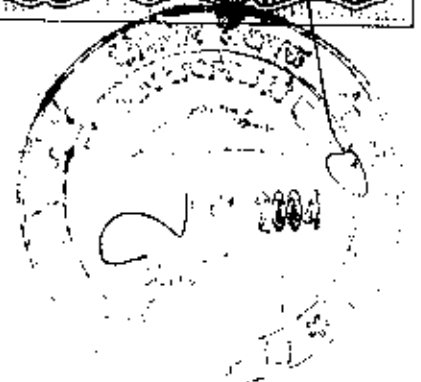
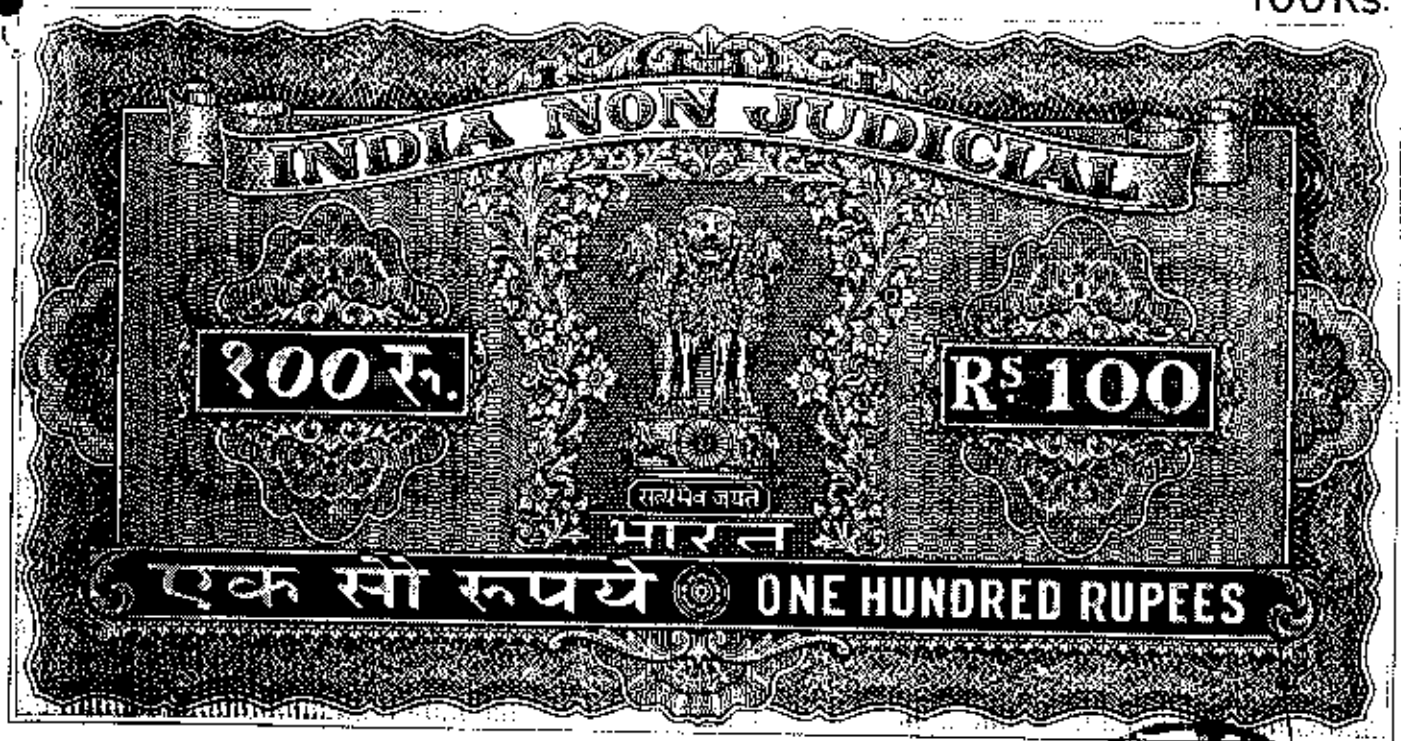
उत्तर
दक्षिण

: खसरा संख्या-825
: खसरा संख्या-838

कि. म. १०००

कि. म. १०००

100Rs.



- 19 -

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रू0 6,57,114/- (छः लाख सत्तावन हजार एक सौ चौदह रुपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

भुगतान पूर्ण

एक सताक

100Rs.



- 20 -

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रोता के पक्ष में
समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन

अक्षय शर्मा

अक्षय शर्मा



- 21 -

की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे

और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

नोट: रकम रु. 79015 पर बिहेरा का कोर

वर्षों के लालचों में लया इसका शासन के अंतर्गत निधि
को लालचों में, इतिहास, दस्तावेज निधि का डकैत।

लखनऊ

दिनांक: 06.11.2004

गवाह

1. डा. म. र. सिंह

डा. म. र. सिंह
लखनऊ

विक्रेता

2. Simi S. R. S.
S-14, Janki compound,
LKO.

क्रैता

टाईपकर्ता

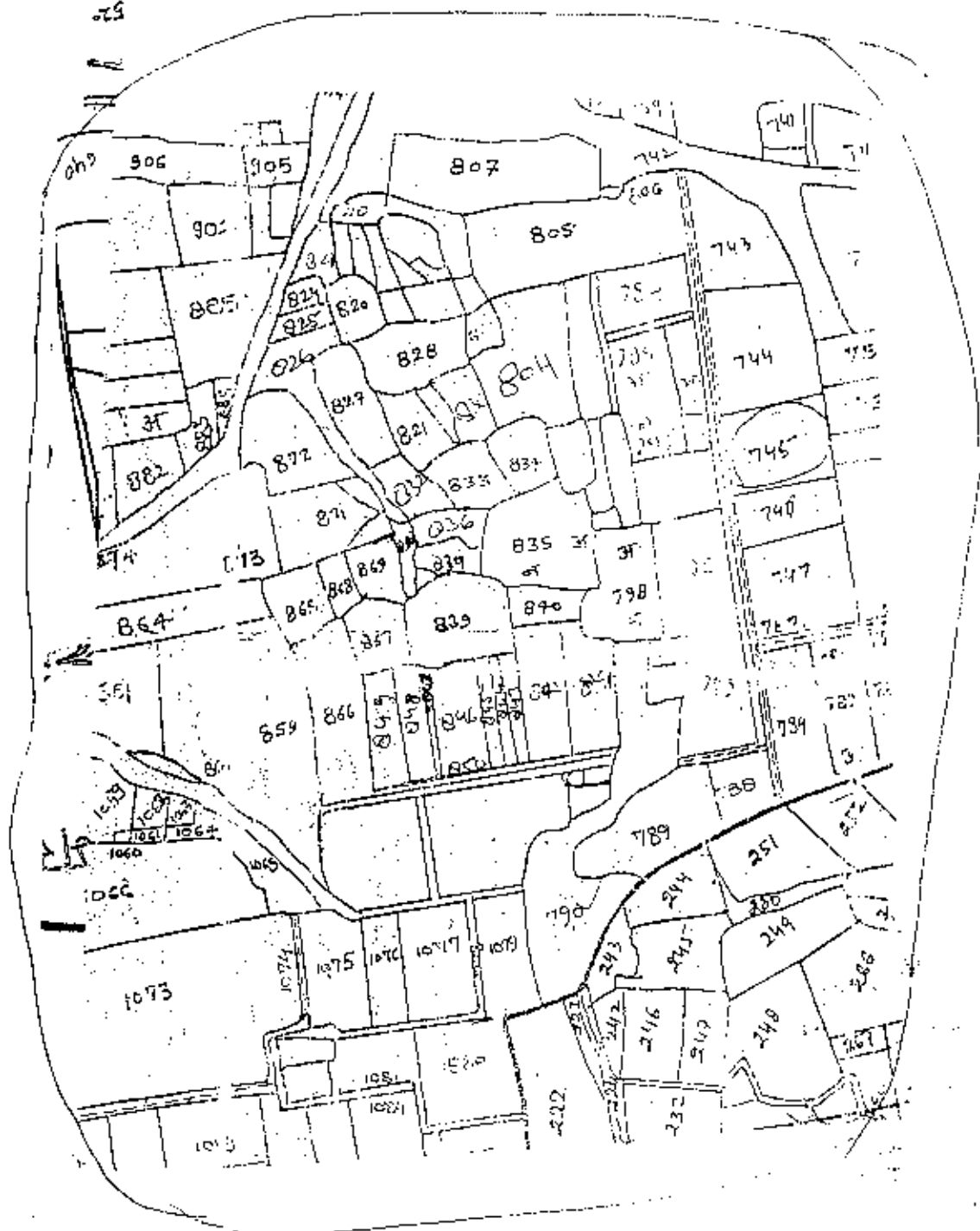
(राम सनेही)

मसविदाकर्ता

Simi S. R. S.
(बैंकट रमन सिंह)

एडवोकेट

52



Aug 2 1972

क्रमांक

[illegible]

Case 27d1a

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन
हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : राज भूटि
राज अष्टम अक्षय विमान व हथौड़ा वज्रि लाल
बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

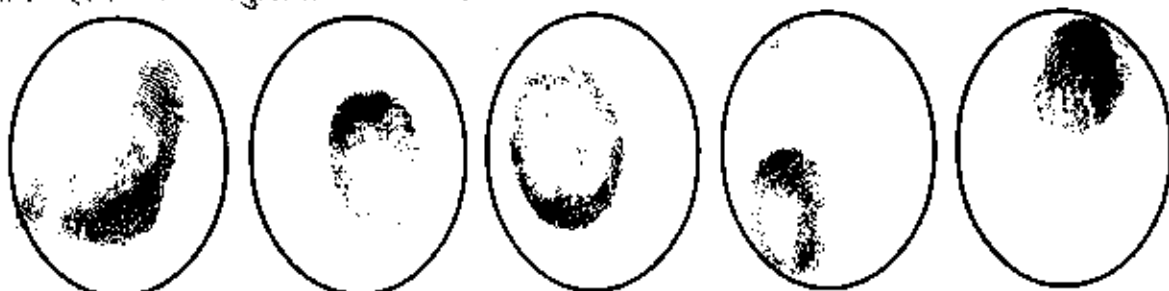


दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता राज भूटि हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : राज भूटि
राज अष्टम अक्षय विमान व हथौड़ा वज्रि लाल
बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



आज दिनांक 08/11/2004 को

बही सं 1 जिल्द सं 4654

पृष्ठ सं 273 से 320 पर क्रमांक 9237

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ